न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेडा
श्याम लाल बनाम 35 कुन्दन वगैरह
किस्म - प्रा० पत्र — 145/17

25.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम सरदारनगर में पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता वक्त शिविर उपस्थित। विपक्षीगण को जारी सुचनापत्र विधिवत बाद तामील लौटकर प्राप्त किन्तु नियत शिविर में विपक्षीगण सुचित होने के उपरान्त भी हाजिर नहीं। लिहाजा विरूद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का सरदारनगर भू0अ0निरीक्षक उपरेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 240 के **आराजी सख्यां 2093/1, 2592, 2593, 2598, 2599, 2600/1, 2602, 2603, 2616, 2621, 2626, 2628/1, 2653/1, 2764/1 कुल किता 14 कुल रकबा 09—02 बीघा** आराज़ीयात जो वर्तमान में विपक्षीगण संख्या 01, के नाम संयुक्त खातेदारी हक से सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा कथन कर निवेदन किया कि वादी का वर्तमान में विवादित आराजीयात में 1/4 हक हिस्सा निहित है। विवादग्रस्त आराजीयात मौरुशी सम्पति होकर वादी व प्रतिवादीगण के दादा/पिता के नाम दर्ज रेकार्ड थी। प्रार्थी विवादग्रस्त आराजीयात पर हक हिस्से अनुसार काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मात्र राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी की पैत्रक विवादित आराजीयात को विपक्षी कम 01 विकय हस्तान्तरित एंव खुर्द बुर्द करने एंव वादी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें।

प्रकरण के अवलोकन/परिक्षण से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी को विवादित आराजीयात में से जबरन बेदखल व आराजीयात का अन्तरण/बैचान कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थी के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।

अतः ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का सरदारनगर भू0अ0निरीक्षक उपरेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 240 के **आराजी सख्यां 2093/1, 2592, 2593, 2598, 2599, 2600/1, 2602, 2603, 2616, 2621, 2626, 2628/1, 2653/1, 2764/1 कुल किता 14 कुल रकबा 09—02 बीघा** में **प्रार्थी के हक हिस्से तक** में राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विगत सुनवाई दिनांक 13.10.2017 को प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर, विपक्षीगण संख्या 01 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।